न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. — 4/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बागोडा		1.आईदान पुत्र उका(फौत) के कायम मुकामः– 1/1.केसाराम पुत्र आईदान 1/2.नरपत पुत्र आईदान 1/3.नारणा पुत्र आईदान 1/4.ईश्वर पुत्र आईदान 1/5.सजना पत्नि आईदान 1/6.देशू पुत्री आईदान 1/7.पंखी पुत्री आईदान , जाति माली,निवासी बाली, तहसील बागोडा,जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–
1.श्री छोटूसिंह , विद्वान सरकारी अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री नरपतसिंह देवडा व श्री गोपेशकुमार ,विद्वान अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/7की ओर से।

आदेश दिनांक 20.12.2019

1. यह रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है जिसके संक्षप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार (भू.अ.),बागोडा ने यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सरकार की ओर से श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर को प्रस्तुत किया कि ग्राम बाली,तहसील बागोडा के गत खसरा नम्बर 322 रकबा 315 बीघा 10 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन नदी में से 15 बीघा का आवंटन दिनांक 2.12.65 को अप्रार्थी सं.1–आईदान को किया गया था जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2242रकबा 2.04हेक्टर व खसरा नम्बर 2243 रकबा 2.38 हेक्टर,किस्म बारानी प्रथम बने है,आवंटन की गई भूमि की मूल किस्म गैरमुमकिन नदी है जो आवंटन योग्य नही है। हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट

जनहित याचिका सं. 1536/2003अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय के अनुसार इस प्रकार के आवंटन जो गैर मुमकिन नदी की भूमि में किये गये है,निरस्त किये जाने है। अप्रार्थी सं.1 को आवंटन की गई भूमि की मूल किस्म गैर मुमकिन नदी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् प्रतिबंधित भूमि है। इस प्रकार उक्त अप्रार्थी सं.1 को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है। उक्त अप्रार्थी सं.1के फौत होने पर उसके कायम मुकाम अप्रार्थी सं.1/1 से 1/5 के नाम उक्त भूमि वर्तमान में जमाबंदी संवत् 2075–2078 में दर्ज है। अतः अप्रार्थी सं.1 को किया गया दिनांक 2.12.1965का आवंटन एवं इसके आधार पर आज तक राजस्व रैकार्ड में किये गये सभी इन्द्राजात् (ना.कं.सं.344/28.10. 1977 आदि) को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर को रेफरेन्स किया जावे। अप्रार्थी सं.1 फौत होने से उसके कायम मुकाम 1/1से1/7को रैकार्ड पर लिया गया। बाद सुनवाई के रेफरेन्स प्रकरण सं.20/06,श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय से रेफरेन्स करने पर माननीय राजस्व मण्डल से प्रकरण सं. रेफरेन्स/एल.आर./5098/2008/जालोर से निर्णय दिनांक 6.6.17 द्वारा, रिमाण्ड होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 1/1व 1/7की ओर से श्री नरपतसिंह देवडा, वकील उपस्थित हुए।

3. अप्रार्थी सं.1/1 व 1/7 की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विद्वान सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अप्रार्थी सं.1को आवंटन की गई भूमि की किस्म मूलतः गैर मुमकिन नदी है जो आवंटन योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे व अप्रार्थी सं.1 को किये गये आवंटन आदेश व उसके पश्चात आज तक स्वीकृत किये गये ना.कं.सं. 344/28.10.77 आदि को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1/1 व 1/7 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि भूमि की किस्म बारानी प्रथम होने से प्रार्थी रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 के अनुसार मौजा बाली के गत खसरा नम्बर 322 रकबा 315 बीघा 10 बिस्वा की भूमि की मूल किस्म गैर

मुमकिन नदीं अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत किस्म गैर मुमकिन नदी, प्रतिबंधित भूमि है जो आवंटन योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1को आवंटन की गई भूमि की किस्म मूलतः गैर मुमकिन नदी होने से किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है,आवंटी फौत हो चुका है उसके कायम मुकाम को रैकार्ड पर लिया गया। अतः आवंटन आदेश व इसके पश्चात् आज तक स्वीकृत किये गये ना.क.सं.344/28.10.1977(आवंटन एवं खातेदार का) निरस्त करने हेतु रेफरेन्स करना आवश्यक है।

6. अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स कर निवेदन हैं कि ग्राम बाली तहसील बागोडा के गत खसरा नम्बर 322रकबा 315बीघा 10बिस्वा किस्म गैरमुमकिन नदी में से किस्म बदली जाकर ,दिनांक 2.12.1965 को आईदाना पुत्र उका,कौम माली,साकिन बाली को आवंटित कर,गैर खातेदारी दी गयी तथा 10 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 28.10.77 को खातेदारी प्रदान की गयी, उक्त खसरा नम्बर 322 रकबा 15बीघा के हाल खसरा नम्बर 2242,2243रकबा क्रमशः 0.04व 2.38 हेक्टर बने है। उक्त अप्रार्थी सं.1फौत होने से उसके कायम मुकाम को रैकार्ड पर लिया गया है। अतः आवंटन आदेश व उसकी पालना में भरे गये आज तक के नामान्तरकरण सं.344/28.10.1977, आदि को निरस्त कर उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। उक्त भूमि का रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन होने से अप्रार्थी, माननीय राजस्व मण्डल से कोई अग्रिम आदेश नही होने तक भूमि की यथास्थिति बनाये रखे, इसकी प्रति तहसीलदार बागोडा को भी भेजी जावे। पक्षकारान् माननीय राजस्व मण्डल में पैरवी हेतु दिनांक 18.3.2020 को उपस्थित रहे।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश, आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:12:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: